प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 28.07.2021

चोरी की योजना बनाते 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमन्चा/कारतूस व चोरी के 4,900/– रू0 बरामद – (थाना हथिगवां)

बीती रात्रि दिनांक 28.07.2021 को थानाध्यक्ष हथिगवां श्री दूधनाथ सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के एपीएस डिग्री कालेज के पास बने मंदिर परिसर से चोरी की योजना बना रहे तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अदद लोहे का सूआ, 01 अदद टार्च व चोरी के 4,900/– रू0 नगद बरामद किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/21 धारा 401 भादंवि व मु0अ0सं0 149/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सौरभ उर्फ मनीष सरोज, का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. सौरभ उर्फ मनीष सरोज पुत्र स्व0 मदनलाल सरोज नि0 रोर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

02. राजेश सरोज पुत्र प्रभू सरेाज नि0 महेवा, मोहनपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

03. गंगाराम सरोज पुत्र राम मोहन सरोज नि0 परानूपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर।
02. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
03. 02 अदद लोहे का सूआ।
04. 01 अदद टार्च।
05. चोरी के 4,900/– रू0 नगद

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग साथ मिलकर चोरी करते हैं। अभियुक्त सौरभ ने बताया कि कुछ दिन पहले अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लखनऊ के गोमती नगर में कई दिनों से बन्द पड़े मकान में से लाखों रू0 व जेवरात की चोरी की थी जिसमें से मुझे अपना हिस्सा 02 लाख 70 हजार रू0 मिला था, जिसमें से काफी पैसा अपने दादा की तेरहवीं में व मुर्गा–शराब की पार्टी करने में खर्च हो गया, मेरे पास से बरामद 4,000/– रू0 उन्ही पैसों में से बचे पैसे हैं। दूसरे अभियुक्त राजेश सरोज ने बताया कि मै दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका हूं, इस समय मेरे पास कोई काम नही था तो इन लोगों के साथ मिलकर चोरी का काम करने लगा हूं। तीसरे अभियुक्त गंगाराम सरोज ने बताया कि मैं सूरत (गुजरात) मे ंएक बार चोरी के मामले में जेल जा चुका हूं, पिछले साल ही जेल से बाहर आया था और इन लोगों से मुलाकात होने के बाद इनके साथ मिलकर चोरी के काम में लग गया था। आज हम लोग चोरी के इरादे से तैयारी करके निकले थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया गया। अभियुक्तों द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष श्री दूधनाथ सिंह यादव मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार – (थाना सांगीपुर)

जनपद के थाना सांगीपुर से उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के नौगीर पेट्रोल पम्प के पास से एक व्यक्ति अनुभव पाण्डेय पुत्र राकेश पाण्डेय नि0 बलीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तं का विवरण–

01. अनुभव पाण्डेय पुत्र राकेश पाण्डेय नि0 बलीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर।
02. 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय मय हमराह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़